

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प. 9 (1) कार्मिक/क-4/08

जयपुर, दिनांक : 22 JUN 2009

:- परिपत्र :-


इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 10-07-2008 के द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि वे संघ लोक सेवा आयोग एवं भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से किसी भी प्रकार का पत्राचार न करें।

जबकि यह देखने में आया है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सीधे ही संघ लोक सेवा आयोग एवं भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से पत्र व्यवहार कर रहे हैं अथवा मूल पत्र कार्मिक विभाग को भिजवाते हुए पत्र की अग्रिम प्रति भारत सरकार अथवा संघ लोक सेवा आयोग को प्रेषित करते हैं। यह राजस्थान आचरण सेवा नियमों के अन्तर्गत दुराचरण की परिभाषा में आता है। राज्य सरकार ने इसे गम्भीरता से लिया है। संघ लोक सेवा आयोग ने भी पुनः इस ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।

अतः राजस्थान प्रशासनिक सेवा के समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे भविष्य में न तो संघ लोक सेवा आयोग एवं भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से सीधे ही पत्र व्यवहार करें और न ही अपने किसी पत्र की अग्रिम प्रति उनको प्रेषित करें, अन्यथा आचरण नियमों के अन्तर्गत उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

उक्त निर्देशों की कड़ाई से पालना की जावे।

आज्ञा से,


(शिल्पा)
विशेषाधिकारी

प्रतिलिपि-समस्त राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारीगण।